संख्या- 8 /2022/998 /46-2099/158/2022

प्रेषक,

डॉ. रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2022**

विषय:-**उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच एवं मुण्डेरवा चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2019-20 में समय से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु इण्डियन बैंक से प्राप्त की जा रही नकद साख सीमा को बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा टेक ओवर किये जाने हेतु शासकीय गारण्टी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–पीसी/एसएससी/सी.सी.एल/656, दिनांक 17.08.2022, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27.09.2022 में दिये गए अनुमोदन के क्रम में उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि. की पिपराईच एवं मुण्डेरवा चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2019-20 में समय से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु इण्डियन बैंक से प्राप्त की जा रही रू.100/- करोड़ प्रति इकाई कुल रू.200/- करोड़ की नकद साख सीमा को बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा टेक ओवर किये जाने हेतु शासकीय गारण्टी एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः अनुरोध है कि उक्त शासकीय गारण्टी हेतु देय विधीक्षण शुल्क का भुगतान करते हुए ट्रेजरी चालान/रसीद सहित शासकीय गारण्टी एवं काउण्टर गारण्टी हेतु विलेख तैयार कराकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त इण्डियन बैंक का सीसीएल खाता बन्द कराकर, गारण्टी डिस्चार्ज कराते हुए बैंक से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, उसकी प्रति भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ. रूपेश कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-8/2022/998 (1) /46-2099/158/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान प्रबन्धक (वित्त), उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इण्डियन बैंक से प्राप्त की जा रही रू.100/- करोड़ प्रति इकाई कुल रू.200/- करोड़ की नकद साख सीमा को बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा टेक ओवर किये जाने हेतु शासकीय गारण्टी एवं उक्त शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया अग्रेतर कार्यवाही करने के साथ-साथ शासकीय गारण्टी एवं काउण्टर गारण्टी का प्रारूप भी विधीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जगराम यादव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।